न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 95/2022

1. साक्षी, सेनू बाला, विशिष्ट पुत्र/पुत्रियां विनोदकुमार पुत्र कृष्णलाल पुत्र रिंगूराम जाति बिश्नोई जरिये कुदरतवली माता सीमा पत्नी विनोदकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 12 बीडी खाजूवला जिला बीकानेर

...प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र रिंगुराम जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहसील खाजूवाला जिः बीकानेर
2. कमला पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
3. सुनीलकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति बिश्नोई निः चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
4. राधा पुत्री कृष्णलाल पत्नी विष्णु गोदारा जाति बिश्नोई निः साधुवाली हाल चक 12 बीडी तहः खाजूवाला जिः बीकानेर
5. उप–पंजीयक, खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. राज. राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

....अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्र गौड़ अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से

–: आदेश :– **दिनांक 29.07.2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल के पिता रिंगुराम को विरास्त में तहसील रायसिंगनगर के चक 2 टी.के. का खसरा नं0 28, मुरब्बा नं0 165/301, 166/293, 165/301 की भूमि मिली थी जो रिंगुराम के फौत हो जाने पर विरास्तन प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल व अन्य सहवारिसान के नाम दर्ज हो गई तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा कृष्णलाल ने ब ऐवज प्रतिफल जरिये बैयनामा, दस्तरबरदारी के 24.05.1994 व दिनांक 09.02.1998 को विक्रय हस्तान्तरित कर दी तथा उक्त कीमत रूपयो से चक 12 केवाईडी में मुरब्बर नं0 136/34 की भूमि खरीद कर ली तथा चक 12 बी.डी. में आकर रहवास करने लगे। प्रार्थीगण के दादा ने उक्त 12 केवाईडी की भूमि विक्रय करने का करार कर उक्त रूपयों से चक 12 बी.डी. मुरब्बा 133/4 के किला नं0 1 ता 16 की 16.00 बीघा, मुरब्बा 133/30 के किला नं0 1 ता 12 की कुल 12.00 बीघा, मुरब्बा नं0 134/9 के किला नं0 5, 6, 15 की कुल 3.00 बीघा व मुरब्बा नं0 133/12 के किला नं0 1, 10, 11 [illegible] की कुल 0.05 बीघा इसप्रकार कुल 31.05 बीघा कमाण्ड भूमि खरीद की तथा स्टाम्प ड्यूटी में 1 प्रतिशत छूट के कारण दादी श्रीमती कमला व शेष भूमि दादा कृष्णलाल [illegible] जरिये बैयनामा दर्ज रिकॉर्ड करवाई जो कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के परिवार की पैतृक सम्पति विक्रय कर खरीद की गई है। लिहाजा उक्त वादगत भूमि भी प्रार्थीगण के परिवार की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा उक्त भूमि वादगत को परिवार का कोई एक सदस्य मनमर्जी से हस्तान्तरित नहीं कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के परिवार के मुखिया दादा दादी (अप्रार्थी सं0 1, 2) ने परिवार की सम्पति का बंटवारा कर दिया तथा उक्त लिखित बंटवारा अनुसार प्रार्थीगण के पिता का विरासतन हिस्सा प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दिया तथा मुताबिक समझौता पारिवारिक बंटवारा 8.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दिया तथा परिवार की देनदारियो (कर्जा/ऋण) चुकाने के लिये अप्रार्थी संख्या 3 को 3.00 बीघा अतिरिक्त भूमि प्रदान कर दी है। मुताबिक समझौता पारिवारिक बंटवारा 8.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द कर दी जो कि मुरब्बा नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 10 में 8.00 बीघा थी जो काश्त हेतु 1 वर्ष के लिये सन् 2016 में प्रार्थीगण खुद ही काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के बूढ़े दादा दादी अप्रार्थी संख्या 1, 2 को बरगलाते है कि रिकॉर्ड में तुम्हारे नाम है। तुम हस्तान्तरित कर सकते हो। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लालचवंश रिकॉर्ड में अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर भूमि रहन, बैय या मुंतकिल कर दी तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका कोई आंकलन नहीं किया जा सकता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त कृत्य से रोकने का एकमात्र उपाय चिरस्थाई निषेधाज्ञा ही है। प्रार्थीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वाहमी को ही अंतिम मानकर अपने पिता के हिस्सा तक 1/4 हिस्सा पांति की मुरब्बा नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 5 सालम, 6 ता 10 की कुल 3.00 बीघा कुल 8.00 बीघा भूमि अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार बंटवारा दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा उक्त बंटवारा दर्ज रिकॉर्ड होने से किसी भी पक्षकार को कोई असुविधा नहीं होगी तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रथम दृष्ट्या मामला व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए रिकॉर्ड व मौका की स्थिति कायम रखने के आदेश के का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस करवाई गई। जिसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गौड़ ने जवाब प्रार्थनापत्र व दस्तावेज दिनांक 29.07.2022 पेश किये। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 का जवाब इसप्रकार है कि रिगूंराम के स्वर्गवास के पश्चात गांव 2 टी.के. रायसिंहनगर में दर्ज विरास्तान भूमि को अप्रार्थी सख्या 1 ने कुछ भुमि शेष सहहिस्सेदारो के पक्ष में बिना किसी प्रतिफल के रीलीज कर दी तथा 4.00 बीघा साढे 10 बिस्वा नहरी व पोने दो बिस्वा बारानी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र केवल मात्र एक लाख चालीस हजार रूपये प्रतिफल राशि के पारिवारिक आवश्यकता के लिए विक्रय की गई थी। उक्त प्रतिफल राशि से चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भुमि खरीद करना सरासर गलत, झुठ व रिकार्ड के विपरीत है क्योंकी ना तो चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने खरीद की तथा ना ही उक्त भूमि वर्ष 1998 में खरीद की गई बल्कि उक्त भूमि तो अप्रार्थी सख्या 01 के नाम से बतौर भूमिहीन काश्तकार वर्ष 1971 में टी.सी. (आरजी काश्तकार के रूप में) आवंटन के रूप में आवंटित हुई थी जो बाद में दिनांक 18.04.1974 को पुख्ता आंवटित हुई थी। ऐसी [illegible] में चक 12 के वाई डी के मुरब्बा नम्बर 136/34 की भूमि को चक 2 टी.के. की भूमि को विक्रय कर उससे प्राप्त प्रतिफल राशि से खरीद किया जाना अंकित करना सरासर गलत, रिकॉर्ड के विपरित एवं वादपत्र व प्रार्थना पत्र का सरासर झुठा एवं मनगंढत आधार बनाना है। उक्त रिर्कोडेड एकमात्र तथ्य से ही वादपत्र व प्रार्थना [illegible] के आधार की सच्चाई को समझा जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 12 के वाई डी की भूमि विक्रय करने का करार कर उक्त रूपयों से चक 12 बी.डी. की 31.05 बीघा भूमि खरीद की तथा ना ही अप्रार्थी सख्या 2 की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 ने स्टाम्प ड्युटी में छुट के कारण उसके नाम दर्ज करवाई तथा ना ही उक्त 31.05 बीघा भूमि किसी भी प्रकार से पैतृक भूमि है तथा ना ही उक्त भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हित निहित है क्योंकि उक्त 31.05 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है जिसमें उनके जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति का कोई हक–हिस्सा नही है तथा उक्त भूमि को अप्रार्थी सख्या 01 व 02 को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग व हस्तान्तरण के समस्त अधिकार हासिल है। अप्रार्थी सख्या 01 के पुत्र–पुत्री का विवरण स्वीकार योग्य है परन्तु प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का परिवार संयुक्त अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब नहीं है तथा ना ही अप्रार्थी सख्या 01 हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता के रूप में थे तथा ना ही परिवार की कोई सम्पति थी क्योंकि उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सख्या 01 व 02 की स्वअर्जित सम्पति है जिसके अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खुद पर्दा कर्ता है जिसमें उनके जीवन काल में कानूनन किसी का कोई हक–हिस्सा अथवा अधिकार नही है। एवं जब उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जीवित है तो प्रार्थीगण के पिता का विरासतन हिस्सा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तथा अप्रार्थी सख्या 1 व 2 ने अपनी उक्त भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं किया जिसे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में बंटवारा अंकित करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे है वह केवल 1 शपथ पत्र मात्र है तथा उक्त शपथ पत्र में भी वही भूमि दिये जाने का एक शब्द भी अंकित नहीं है बल्कि प्रार्थीगण के बालिग होने तक 8.00 बीघा की ठेका राशी दिये जाने का उल्लेख है परन्तु उसके बावजूद भी समस्त तथ्यो को तोड़ मरोड़ कर बुजुर्ग दम्पति की स्वअर्जित भूमि को हड़पने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने भूमि प्रार्थीगण की माता को सुपुर्द की तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की उक्त भूमि पर कभी प्रार्थीगण की माता का कभी कब्जा काश्त रहा तथा ना ही प्रार्थीगण की कोई फसल काश्त की हुई है एवं ना ही प्रार्थीगण किसी भी सूरत में उक्त भूमि के खातेदार घोषित हो सकते है क्योंकि जब उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त ही नही रहा तथा ना ही उनका उक्त भूमि पर कोई हक हिस्सा है तो उनके पक्ष में निषेधाज्ञा का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता क्योंकि कभी कोई पारिवारिक बंटवारा हुआ ही नहीं और कानून हो भी नहीं सकता तो मुरब्बा नं0 133/30 की 8.00 बीघा अथवा अन्य किसी भूमि को प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज करवाने के किसी प्रकार के अधिकारी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को वाद में किसी भी प्रकार का सुविधा का संतुलन नहीं है क्योंकि 15.06.2022 अथवा उसके पहले या पश्चात् प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम की किसी भी भूमि पर कब्जा काश्त ही नही था तो उन्हे धमकी दिये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तमाम तथ्य प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए झूठे अंकित किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को अपनी स्वअर्जित उक्त भूमि पर शांतिप्रिय कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में ना तो प्रार्थीगण का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा ना ही उन्हे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का कोई अंदेशा है तथा जब किसी भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व हक हिस्सा ही नही है तो किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है एवं उपरोक्त आधारहीन व झूठा प्रार्थना पत्र हैवी कोस्ट पर खारीज किया जाना आवश्यक है जिससे कि झूठे मुकदमेबाजी पर अंकुश लग सके।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना के कथनों को दोहराते हुवे व प्रस्तुत दस्तावेज एवं नजीर माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील सं0 3264 /2011, डी/20.08.2018 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की शर्तें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य वादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए यह स्थगन आदेश सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहा है। अतः चक 12 बी.डी. के मु0नं0 133/30 के किला नं0 1 ता 10 की कुल 3.0348 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि में प्रार्थीगण साक्षी वगैरह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में दिया गया एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर संलग्न मूल दावा हो।

निर्णय आज दिनांक .....2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:09:21 IST
Reason: SelfAttested